(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–477–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–01–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–317/अपील/1998–99

.....

1– बालकृष्ण तनय जगतदेव
निवासी–ग्राम वीरखाम तहसील सिरमौर
जिला–रीवा(म0प्र0)

2– भगवानदीन तनय रामरूद्व
निवासी– ग्राम वीरखाम तहसील सिरमौर
जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– अंजनी प्रसाद
2– बालकरण
3– अंगद प्रसाद, पिसरान जमुना प्रसाद
निवासीगण– ग्राम वीरखाम तहसील सिरमौर
जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 14/09/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम वीरखाम की प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 1163 रकबा 2.33 का नामांतरण अपने नाम किये जाने हेतु

आवेदन पर राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक ने पंजी क्र0 24 में पारित आदेश 17.07.1987 से आवेदक के नाम नामांतरण किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 43 / अ–6 / 1994–95 में दिनांक 28.06.1999 से राजस्व निरीक्षक के आदेश को यथावत रखा है तथा अपील अस्वीकार की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.1999 के विरूद्ध आवेदकगण ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की है। जहॉ पर अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 317 / अपील / 1998–99 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 11.01.2002 से अपील सारहीन होने से अमान्य किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4 / अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5 / आवेदक अभिभाषक के तर्क पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम वीरखाम की प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 1163 रकबा 2.33 का मूल भूमिस्वामी रामदुलारे था जिससे आवेदक क्र0 1 के पिता जगतदेव ने सम्बत 1998 में रुपये 383 / से क्रय की थी, किन्तु विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं कराया था, जबकि विक्रय विलेख का पंजीयन होना अनिवार्य होता है। सम्बत 1998 अर्थात 1941 में रीवा नियमावली रजिस्ट्रेशन 1917 के अनुसार 25.00 / – रुपये के ऊपर अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय का पंजीयन अनिवार्य था । अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व अर्जित प्राप्त नहीं होता। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण भूमिस्वामी का उत्तराधिकारी नहीं था और इसी कारण पूर्व में हुये नामांतरण को खंडित करने का अधिकार प्राप्त नहीं। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रश्न है, संहिता की धारा 110 के तहत बने प्रावधान के अनुसार नामांतरण स्वत्व के आधार पर किया जाता है न कि कब्जे के आधार पर । आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज न हो अधीनस्थ न्यायालयों में पेश किया है और न ही इस न्यायालय में पेश किया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने एवं अपर आयुक्त रीवा ने

ठोस आधार के आभाव में आवेदकगण की अपील को निरस्त किया है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,